an>

Title: Need to reduce the license fee of chemists in Uttar Pradesh.

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** माननीय अध्यक्षा जी, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत नए लाइसैंस बनाने व पुराने लाइसैंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है जिसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को अधिसूचना जारी की गई है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। उसके परिप्रेक्ष्य में लाइसैंस फीस बढ़ाने के साथ-साथ प्रत्येक दवा की दुकान पर पृथक फार्मासिस्ट की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो इस क्षेत्र में अनियमितताओं को दूर करने के लिए निसंदेह एक उचित कदम हो सकता है। परन्तु अपने देश की वास्तविक परिस्थितियां तथा दवा की दुकानों की संख्या के अनुपात में फार्मासिस्टों का मिलना असंभव है। ऐसे में कई क्षेत्रों खासकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दवा की दुकानों का अभाव हो जाएगा जिसका विपरीत असर दवा आपूर्ति के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने की संभावना है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की धारा 65 (2) में पुन: संशोधन करके कैमिस्टों को पूर्व की भांति अनुभव के आधार पर लाइसैंस देने, लाइसैंस फीस कम करने तथा नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :**

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री चन्दू प्रकाश जोशी,

डा. मनोज राजोरिया,

श्री रोड़मल नागर,

श्री सुधीर गुप्ता,

डा. किरीट सोलंकी और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।